

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

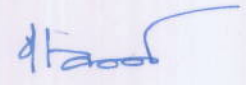
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3(ई) (आर- 35/81)/अलेसे-II 24294-24304 दिनांक:- 1.12.2015

आदेश संख्या...143.../2014-15

श्री राजाराम लढ्ढा, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - II, कार्यालय वाणिज्य कर अधिकारी, वर्क्स एवं लिजिंग टैक्स, भीलवाडा को उनके विरुद्ध अभिनव गोल्ड प्रकरण में दर्ज प्रकरण संख्या 493 / 11 के कारण विभागीय आदेश क्रमांक 4892 - 4904 द्वारा दिनांक 18.12.2011 से निलंबित किया गया था । निलम्बन से बहाली हेतु आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 03.11.2015 में श्री राजाराम लढ्ढा को निलम्बन से बहाल किये जाने का निर्णय लिये जाने पर श्री राजाराम लढ्ढा, स.ले.अ. ग्रेड - II को तुरंत प्रभाव से निलम्बन से बहाल करते हुए इनका पदस्थापन कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि (जिला परिषद), चित्तौड़गढ़ में किया जाता है । उक्त आदेश वित्त (राजस्व) विभाग के पत्रांक प. 2(1) वित्त/राजस्व/2015 दिनांक 30.11.2015 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं ।

निलम्बन अवधि का निर्णय न्यायालय निर्णय के अधधीन रहेगा ।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3(ई) (आर- 35/81)/अलेसे-II 24294-24304 दिनांक:- 1.12.2015
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, सचिवालय, जयपुर ।
2. उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्य कर विभाग, भीलवाडा ।
3. वाणिज्य कर अधिकारी, वर्क्स एवं लिजिंग टैक्स, भीलवाडा ।
4. कोषाधिकारी भीलवाडा ।
5. सहायक निदेशक कृषि (जिला परिषद) चित्तौड़गढ़ ।
6. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय ।
7. उपनिदेशक (एसीपी) को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
8. श्री राजाराम लढ्ढा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय- कोषालय भीलवाडा ।
9. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/विधि एवं जाँच/मासिक सूचना हेतु ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली ।